न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 175/2007 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कन्हीराम पुत्र झाबर जाति अहीर (मृतक)

1/1. सत्यवीर पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील बहरोड जिला अलवर

2. मामचन्द पुत्र झाबर जाति अहीर

3. शेरसिंह पुत्र झाबर जाति अहीर निवासीयान ग्राम नायसराना तहसील बहरोड जिला अलवर

:–– वादी अपीलांटान

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

2 तहसीलदार बहरोड बहैसियत लैण्ड होल्डर

:––– प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बहरोड दिनांक 22.11.2007

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जगदीश प्रसाद यादव

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 11.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 243/2007 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय

11/10

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

दिनांक 22.11.07 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी वादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत न्यायालय में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 499 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम नायसराना तहसील बहरोड जिला अलवर वादीगण के पिता झाबर खातेदार काबिज काश्तकार थे और उनके देहान्त के बाद वादीगण को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई । वादीगण मौके पर सम्पूर्ण रकबे 4 बीघा 08 बिस्वा पर काबिज है, परन्तु बंदोबस्त विभाग ने इस साबिक आराजी का नया नम्बर 545 कायम कर इसका रकबा 94 एयर दर्ज कर दिया गया, जबकि साबिक रकबे 4 बीघा 08 बिस्वा अनुसार मैट्रिक प्रणाली में 1 हेक्टेयार 11 एयर होना चाहिये । इस गलत इन्द्राज की वजह से प्रतिवादीगण वादीगण को आराजी से बेदखल करने की जुस्तजू में है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया है कि बंदोबस्त विभाग को किसी का रकबा कम या ज्यादा करने का अधिकार नहीं है । उसे पुराने इन्द्राजात/रकबे को रिपीट करना चाहिये । हमारी आराजी का साबिक रकबे 4 बीघा 08 के अनुसार हाल रकबा 1 हेक्टेयर 11 एयर दर्ज होना चाहिये था, परन्तु बंदोबस्त विभाग ने मात्र 94 एयर दर्ज किया है । इस प्रकार हमारा रकबा 17 एयर कम दर्ज किया है । जबकि हम मौके पर सम्पूर्ण रकबे पर काबिज है । केवल राजस्व रेकार्ड में रकबा कम दर्ज है । इस गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण हमको बेदखल करना चाहते है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये तर्क दिये कि धारा 212 का प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब प्रार्थी का प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन और नापूर्तिजनक क्षति सिद्ध हो । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट ने ये तीनो बिन्दू दस्तावेजी

11/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

साक्ष्य से सिद्ध नहीं किये हैं । प्रार्थीगण अपीलांट का सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा सिद्ध नहीं है । बंदोबस्त विभाग ने मौके एवं रिकार्ड के अनुसार सही इन्द्राज किये हैं । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042-61 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 499 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा से हाल नम्बर 545 रकबा 94 एयर बनाया गया है । साबिक जमाबन्दी खतौनी में साबिक नम्बर 499 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा पर झाबर पुत्र घडसी को खातेदार दर्ज किया हुआ है तथा हाल बंदोबस्त जमाबन्दी खतौनी में हाल नम्बर 545 रकबा 94 एयर पर कन्हीराम, मामचन्द व शेरसिंह को खातेदार दर्ज किया हुआ है ।

6 उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह तो तय है कि साबिक रकबे अनुसार हाल रकबा 17 एयर रकबा कम दर्ज किया गया है । यह कम हुआ रकबा किस खसरा नम्बर में शामिल किया गया है, उस पर प्रार्थीगण अपीलांटस का राईट बनता है अथवा नहीं, किस कारण से रकबा कम दर्ज किया गया है, आदि प्रश्नों का निर्णय तो मूल वाद में तय होना है । अर्थात हक हकूकों का निर्णय मूल वाद में होना है । हम यहां धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर रहे हैं । जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दौराने विचारण वाद कब्जेधारी को बेदखल ना किया जावे, मौके की स्थिति तब्दील ना हो तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद ना हो । चूंकि अपीलांट ने अपना कब्जा साबिक रकबे अनुसार मौके पर होना बताया है । अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में प्रथम दृष्टतया मामला अपीलांट का काबिज रकबे की हद तक बनना जाहिर होता है । लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2007 निरस्त किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार जारी की जाती है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजी हाल खसरा नम्बर 545 वाके ग्राम नायसराना तहसील बहरोड के साबिक रकबे एवं मौके अनुसार जितने रकबे पर अपीलांट काबिज है, उस पर से उसे बेदखल ना किया जावे ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/10/19

(कमल राम मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner